मिशन कार्यालय,
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान,
08 कैण्ट रोड, निर्यात भवन, कैसरबाग,
लखनऊ–226001

E-mail.cmmyuva@gmail.com

===

संख्या–154 | दिनांक–31/01/ 2025

कार्यालय–ज्ञाप

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना को गति प्रदान कराने तथा विभिन्न सेक्टर्स में प्रशिक्षित कुशल कामगारों एवं कारीगरों को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु **"मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सी0एम0 युवा)"** के अन्तर्गत प्रदेश में प्रतिवर्ष 01 लाख नई सूक्ष्म इकाईयां स्थापित करायी जायेगी। इस अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से जनपद एवं राज्य स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई तथा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का संगठन बनाकर कार्यों को सम्पादित किया जायेगा। जिला उद्योग केन्द्रों एवं मिशन कार्यालय में नियोजन विभाग की भांति कुल 160, प्रत्येक जनपद में 02–02 एवं मिशन कार्यालय में 10 मुख्यमंत्री युवा फेलो को रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–49/2024/1650/477/18–2–2024 दिनांक 04.10.2024, शासनादेश संख्या–52/2024/1715/477/18–2–2024 दिनांक 18.10.2024 एवं शासनादेश संख्या–ई–1866218(3)/1929/18–2–2024(ल0उ0) दिनांक 04.12.2024 में व्यवस्था की गयी है।

1. चयन हेतु दिशा–निर्देश :–

प्रदेश के 21–40 वर्ष के न्यूनतम 8वीं पास व कौशल प्रशिक्षित युवाओं को सरकार की महत्वाकांक्षी "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान" (सी0एम0 युवा) के अन्तर्गत बैंको से ऋण के माध्यम से प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराते हुये 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा। इस अभियान के क्रियान्वयन के समस्त चरणों यथा–व्यापक प्रचार–प्रसार, पात्र लाभार्थियों का चयन, बैंको से समन्वय करते हुये वित्त पोषण एवं देय लाभों को लाभार्थियों को उपलब्ध कराना आदि में सी0एम0 युवा फेलो की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सी0एम0 युवा फेलो को, दस वर्षीय कार्यक्रम हेतु चयनित किया जायेगा एवं इस अवधि में वे पूर्णकालिक रूप से कार्य करेगें एवं किसी अन्य रोजगार/सेवा/अध्ययन में भाग नहीं ले सकेंगे।

2. पात्रता–

2.1 अनिवार्य योग्यता :–

2.1.1 अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 (Cut Off Date) को हाई स्कूल प्रमाण–पत्र के अनुसार न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।

2.1.2 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

2.1.3 अभ्यर्थी प्रथम श्रेणी में (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से स्नातक (बी0ए0, बी0कॉम, बी0एस0सी0, बी0ई0, बी0टेक, बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि) होना चाहिए।

2.1.4 सी0एम0 युवा फेलो की चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–4/1/2008–का–2–2008 दिनांक 23.01.2008 के प्रस्तर–3 में निहित व्यवस्था के अनुसार लागू होगा।

2.2 वांछित योग्यता :–

यदि अभ्यर्थी के पास निम्नवत् वांछित अतिरिक्त योग्यता है तो उसे चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी।

2.2.1 अभ्यर्थी को हिन्दी एवं अंग्रेजी लिखने, पढ़ने एवं बोलने का ज्ञान होना चाहिए।

2.2.2 उच्च शिक्षा अथवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी को चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी।

2.2.3 अभ्यर्थी को कम्प्यूटर संचालन यथा टाइपिंग, एम0एस0वर्ड, एम0एस0 एक्सल, पी0पी0टी0 एवं अन्य आई0टी0 एप्लीकेशन्स, डेटा एनालिसिस से सम्बन्धित कार्यों में अनुभव को वरीयता दी जायेगी।

2.2.4 किसी निजी/सार्वजनिक संस्थान/बैंकिंग संस्था में लाईजनिंग/समन्वय से सम्बन्धित कार्य अनुभव को वरीयता प्रदान की जायेगी।

3. परिश्रामिक :–

3.1 'सी0एम0 युवा फेलो' के रूप में चयनित अभ्यर्थी को परिश्रामिक के रूप में रू0 30,000 प्रति माह भुगतान किया जायेगा।

3.2 इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को अधिकतम रू0 10,000 प्रति माह क्षेत्र भ्रमण भत्ता दिया जायेगा।

4. सम्बद्धता की अवधि एवं वार्षिक मूल्यांकन :–

4.1 चयनित 'युवा फेलो' की अनुबन्ध के आधार पर सम्बद्धता अवधि नियुक्ति की तिथि से 01 वर्ष के लिये मान्य होगी।

4.2 'युवा फेलो' के उत्कृष्ट कार्य, आवंटित लक्ष्यों की शत्–प्रतिशत पूर्ति आदि के मूल्यांकन के आधार पर युवा फेलो का अनुबन्ध मिशन निदेशक द्वारा 01 वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है।

4.3 विस्तरित अवधि में युवा फेलो को पूर्व निर्धारित परिश्रामिक के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

4.4 चयनित युवा फेलो के साथ रू0 100 मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा। अनुबन्ध की शर्तें पृथक रूप से निरूपित की जायेगी।

4.5 कार्यकाल के समाप्त होने के पश्चात युवा फेलो को मिशन निदेशक की ओर से अनुभव प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

5. <u>अवकाश :–</u>

5.1 सी0एम0 युवा फेलो को एक वर्ष में प्रो–रेटा आधार पर अधिकतम 12 अवकाश प्रदान किये जायेंगे।

5.2 सी0एम0 युवा फेलो को 12 से अधिक प्रत्येक एक दिन के अवकाश के लिये रू0 100.00 की कटौती की जा सकेगी।

5.3 बिना अनुमति के लगातार एक माह अथवा इससे अधिक अनुपस्थिति होने पर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा।

5.4 एक बार में 5 दिन से अधिक अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार अपर मिशन निदेशक/संयुक्त मिशन निदेशक को तथा 15 दिन से अधिक का एक साथ अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार मिशन निदेशक को होगा।

6. <u>भूमिका एवं उत्तरदायित्व :–</u>

सी0एम0 युवा फेलो की भूमिका निम्नवत् होगी :–

6.1 आवंटित जनपद/क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुये सभी आवेदकों/पोटेंशियल अभ्यर्थियों से वार्ता कर उन्हें योजना की विस्तृत जानकारी (आवेदन प्रक्रिया, बैंकिंग नियम, परियोजना रिपोर्ट आदि) प्रदान करना।

6.2 योजना के सभी इच्छुक अभ्यर्थियों व आवेदकों की पृच्छाओं का निराकरण करना/कराना।

6.3 जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के प्रतिनिधि के रूप में इकाई के सभी सदस्यों, बैंको व आवश्यकतानुसार अन्य विभागों (प्रशिक्षणदायी) से समन्वय करते हुये अधिकाधिक लाभार्थियों को मोबिलाइज करना।

6.4 सभी प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी, चयन, बैंक प्रेषण, ट्रैकिंग, सुनिश्चित करना। समस्याओं का समाधान कराकर ऋण स्वीकृत/वितरित कराना और समयान्तर्गत ब्याज व अन्य उपादान (Subsidy) निर्गत कराना। योजना से सम्बन्धित रिपोर्ट/सूचना तैयार करना।

6.5 योजना का सर्वेक्षण, अध्ययन, प्राथमिक आंकड़ों का संकलन, अनुश्रवण का कार्य करना। योजना के संचालन में आ रही चुनौतियों का निराकरण कराना तथा योजना से लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ पहुँचाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना। योजना से सम्बन्धित नीति निर्धारण, योजना संरचना एवं योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करना।

6.6 समय–समय पर मिशन कार्यालय व उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्रों, उ0प्र0 द्वारा दिये गये अन्य कार्यों का सम्पादन करना।

6.7 योजना की मासिक/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा जिसमें योजना की प्रगति, चुनौतियाँ, भविष्य की कार्य योजना आदि के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण किया जायेगा। वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण के आधार पर मुख्यमंत्री युवा फेलो द्वारा सम्पादित कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा।

6.8 समस्त सी0एम0 युवा फेलो अपने कार्यकाल में मिशन निदेशक व उनके अधीन अन्य अधिकारियों/उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

7. चयन प्रक्रिया–

7.1 चयन हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से www.cmyuvafellow.org पर आवेदन करना होगा। अपने आवेदन के साथ अभ्यर्थियों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत निर्धारित अनिवार्य योग्यता व वांछित योग्यता से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों की सुस्पष्ट प्रति अपलोड की जायेगी।

7.2 यदि अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य श्रेणी के अन्तर्गत वांछित प्रपत्रों को अपलोड नहीं किया गया है अथवा आवेदन व समस्त संलग्नक प्रपत्र स्पष्ट व पठनीय नहीं होगें तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

7.3 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये विवरण व अपलोड किये गये प्रपत्रों के आधार पर निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार प्रत्येक अंश हेतु निर्धारित अंको को कम्प्यूटर द्वारा स्वतः प्रदान करते हुये प्रत्येक अभ्यर्थी का कम्प्यूटराईज्ड स्कोर तैयार किया जायेगा।

अपलोड किये गये प्रपत्रों के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा दिये जाने वाले अंकः कुल अंक 75

क्र0सं0	विवरण	अधिकतम अंक
A	**उच्चतम शैक्षिक योग्यता**	**35**
1	**स्नातक**–अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, वाणिज्य, मनोविज्ञान	10
2	**स्नातक**–बीई/बी0टेक–किसी भी विषय में	25
3	**स्नातक**–बीई/बी0टेक–सी.एस.,आई.टी., बी.सी.ए.,डेटा एनेलिसिस/बी.बी.ए.	30
4	**स्नातकोत्तर**–किसी भी विषय में	15
5.	**स्नातकोत्तर**–अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, वाणिज्य, मनोविज्ञान/पी0एच0डी0 (पूर्ण/थीसिस)	20
6.	**स्नातकोत्तर**–एम0टेक/एमई0 किसी भी विधा में	25
7.	**स्नाकोत्तर**–एम0टेक/एम0ई0–सी0एस0, एम0सी0ए0, आई0टी0, डेटा एनेलिसिस/एम0बी0ए0	35

नोट :–

- **उपरोक्त क्रमांक 1,2,3 श्रेणी के अन्तर्गत अंकित स्नातक सम्बन्धी योग्यता में से अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक श्रेणी में स्नातक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को मूल्यांकन हेतु उस श्रेणी के ही अंक प्रदान किया जायेगें, जिसमें उसने अधिकतम अंक प्राप्त किये हो।**

•	उपरोक्त क्रमांक 4,5,6,7 श्रेणी के अन्तर्गत अंकित स्नातकोत्तर सम्बन्धी योग्यता में से अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक श्रेणी में स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को मूल्यांकन हेतु उस श्रेणी के अंक ही प्रदान किया जायेगें जिसमें उसने अधिकतम अंक प्राप्त किये हो। • अभ्यर्थी द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर (क्रमांक–1 से 7) दोनों प्रकार की योग्यता रखने की दशा में जिस श्रेणी (स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में से कोई एक) जिसमें अधिक अंक प्राप्त किये गये हो उसी श्रेणी के अंक को मूल्यांकन में सम्मिलित किया जायेगा।	
B	वांछित अन्य योग्याताऐं :–	40
1.	हिन्दी तथा अंग्रेजी टाइपिंग (न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी में एवं न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में) से सम्बन्धित डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स	10
2.	कम्प्यूटर संचालन यथा–टाइपिंग, एम0एस0वर्ड, एम0एस0 एक्सल, पी0पी0टी0, डेटा एनालिसिस व अन्य आई0टी0 टूल्स के साथ कार्य करने में दक्षता सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाण–पत्र।	15
3.	किसी निजी/सार्वजनिक/बैंकिंग संस्थान में लाईजनिंग/समन्वय कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र।	
	क. 06 माह से 02 वर्ष तक का अनुभव।	10
	ख. 02 वर्ष से अधिक का अनुभव।	15

7.4 प्राप्त कम्प्यूटर स्कोर के आधार पर अवरोही क्रम में सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी वार (अधिकतम अंक से न्यूनतम अंक) अभ्यर्थियों की मैरिट लिस्ट फारमेंट–A पर तैयार की जायेगी।

7.5 इस प्रकार प्राप्त मैरिट लिस्ट में से कुल रिक्तियों 160 के सापेक्ष 7.4 में उल्लिखित श्रेणीवार 05 गुना अर्थात 800 अभ्यर्थियों को अगले चरण में प्रपत्रों के परीक्षण हेतु चयनित किया जायेगा।

7.6 इन चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रपत्रों का परीक्षण/चेकिंग की जायेगी। परीक्षण राजपत्रित अधिकारियों की टीम द्वारा किया जायेगा।

7.7 स्क्रूटनी में अस्पष्ट आवेदनों को परीक्षणोंपरान्त निरस्त कर दिया जायेगा।

7.8 एक ई–मेल आई0डी0, फोन नं0 एवं नाम से केवल एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा। इसका सत्यापन आधार के माध्यम से किया जायेगा।

7.9 स्क्रूटनी में यदि यह पाया जाता है कि जिन प्रपत्रों के आधार पर अभ्यर्थी को कम्प्यूटर से अंक प्राप्त हुये है, वे सही है तो स्क्रूटनी अधिकारी द्वारा **Checked and Found in order** का सर्टिफिकेट पोर्टल पर अंकित किया जायेगा। समस्त प्रपत्र पूर्ण अभ्यर्थियों का कम्प्यूटर द्वारा प्रदत्त अंक यथावत बना रहेगा।

यदि अपलोडेड प्रपत्रों में कुछ प्रपत्र जिन पर अंक प्रदत्त है को अपलोड नहीं किया गया है, या त्रुटिपूर्ण है, तो चेक बॉक्स पर स्क्रूटनी अधिकारी द्वारा इंगित किये जाने के उपरान्त तदानुसार उन प्रपत्रों के अंक कम्प्यूटर द्वारा घटा दिया जायेगा। इस प्रकार अभ्यर्थी के अंक स्वतः कम करते हुये कम्प्यूटर द्वारा मैरिट सूची में यथा स्थान अभ्यर्थी का नाम रख दिया जायेगा।

7.10 स्क्रूटनी के दौरान प्रपत्रों के अपलोड न होने या त्रुटिपूर्ण होने के कारण मैरिट लिस्ट में, 7.4 में उल्लिखित श्रेणीवार अभ्यर्थियों की संख्या वांछित संख्या 800 से कम हो जाती है, तो मैरिट क्रम से अन्य अभ्यर्थियों को अवरोही क्रमानुसार ले लिया जायेगा।

7.11 इस प्रकार स्क्रूटनी के उपरान्त अभ्यर्थियों की मैरिट लिस्ट फारमेंट B पर तैयार की जायेगी एवं इनको साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

8. व्यक्तिगत साक्षात्कार : 25 अंक

8.1 अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी अभिलेखों की मूल एवं स्वप्रमाणित प्रतिलिपि साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना होगा। शैक्षिक योग्यता का सत्यापन साक्षात्कार के समय किया जायेगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व, सामान्य ज्ञान, कार्य के प्रति उत्साह आदि का आंकलन किया जायेगा।

8.2 कुल प्राप्त अंको के योग के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हुये शीर्ष के 160 अभ्यर्थियों को योजना के नियम एवं शर्तों के अधीन चयन किया जायेगा।

8.3 उक्त के अतिरिक्त 100 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा।

8.4 समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में जिसकी आयु ज्यादा होगी उसे वरीयता क्रम में ऊपर रखा जायेगा। इसी प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो व्यक्तिगत साक्षात्कार में अधिक अंक पायेगे उन्हें वरीयता क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

8.5 **साक्षात्कार समिति निम्नवत् होगी :-**

1. मिशन निदेशक	–	अध्यक्ष
2. महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी	–	सदस्य
3. कुलपति ए0के0टी0यू0 द्वारा नामित वरिष्ठ प्रतिनिधि	–	सदस्य
4. प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
5. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि	–	सदस्य

9. प्रशिक्षण :-

कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को दो सप्ताह का प्रशिक्षण कराया जायेगा। प्रशिक्षण के प्रथम सप्ताह परिचय एवं द्वितीय सप्ताह में कार्यक्रम विषयक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

10. अन्य महत्वपूर्ण शर्ते :-

10.1. मुख्यमंत्री युवा फेलो कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम है। अतः चयनित सी0एम0 युवा फेलो कार्यक्रम की अवधि में किसी अन्य रोजगार, असाइनमेंट तथा अन्य पूर्णकालिक अध्ययन/कार्य करने के लिए अनुमन्य नहीं होंगे।

10.2. सी0एम0 युवा फेलो कार्यक्रम, कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात स्थायी सेवा/रोजगार का आश्वासन नहीं देता है।

10.3. प्रत्येक चयनित के लिए कार्यालय का समय वही होगा जो उस कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के लिए है।

10.4. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त घंटे कार्य करने और यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है, इसके लिये अन्य कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।

10.5. सी0एम0युवा फेलो कार्यक्रम में सम्बद्धता के समय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। चयन के पश्चात पुलिस सत्यापन किया जायेगा।

10.6. सी0एम0 युवा फेलो को कार्य की अवधि में अपने सम्बद्धता स्थान पर ही रहना होगा।

10.7. प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस में सम्बद्ध कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा चयन रद्द कर दिया जायेगा।

10.8. सी0एम0 युवा फेलो कार्य की अवधि के दौरान किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11 प्रबन्धन :–

मुख्यमंत्री युवा फेलो कार्यक्रम के क्रियान्वयन और प्रबंधन का काम मिशन निदेशक द्वारा किया जायेगा। मुख्यमंत्री युवा फेलो के चयन में AKTU एवं UPAAM जैसी विशिष्ट संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा।

(के0 विजयेन्द्र पांडियन)
मिशन निदेशक,
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान,
मिशन कार्यालय, लखनऊ।